प्रेस नोट–184 / 2026
दिनांक 01.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

थाना साइबर क्राइम खीरी, जनपद खीरी पुलिस की बड़ी कार्रवाईजीएसटी धोखाधड़ी करने : वाले गिरोह का पर्दाफाश, 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- **फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन व साइबर धोखाधड़ी में लिप्त 04 अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **गरीब व भोलेभाले लोगों के आधार-, पैन व सिम का दुरुपयोग कर अपराध को देते थे अंजाम।**
- **भारी मात्रा में सिम कार्ड, चेकबुक, फर्जी दस्तावेज व डिजिटल उपकरण बरामद।**

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0 **श्री योगी आदित्यनाथ जी** के निर्देशों के क्रम में पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 **श्री राजीव कृष्ण** द्वारा प्रदेश भर में साइबर अपराधों एवं वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध व्यापक स्तर पर सघन अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य ऑनलाइन ठगी, डिजिटल फ्रॉड, बैंकिंग धोखाधड़ी तथा अन्य साइबर अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए उन्हें शीघ्र गिरफ्तार करना तथा आमजन को सुरक्षित डिजिटल वातावरण उपलब्ध कराना है।

उक्त अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक खीरी के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना खीरी के नेतृत्व में दिनांक 30.03.2026 को थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा भोले-भाले गरीब लोगों को बहकाकर उनसे उनका आधार कार्ड, पेन कार्ड व उनकी फोटो कॉपी तथा सिम कार्ड व फोटो लेकर साइबर अपराध व जाली प्रपत्र तैयार कर जीएसटी धोखाधडी करने वाले गिरोह के 04 नफर अभियुक्तगण 1- दीपक सिंह उर्फ भीमा पुत्र उमेश सिंह उम्र करीब 26 वर्ष नि0 ग्राम टिहुरकी थाना रामनगर जनपद बाराबंकी, 2- अंकित द्विवेदी पुत्र शिवभगवान निवासी ग्राम बेहटा पकोड़ी थाना तम्बौर जनपद सीतापुर उम्र करीब 27 वर्ष, 3-धीरेन्द्र सिंह उर्फ कमल पुत्र जैनेन्द्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह नि0 ग्राम गोरिया कलां थाना कोतवाली देहात जिला सीतापुर उम्र 26 वर्ष, 4- राजू पुत्र रफीक नि0 ग्राम मिर्जापुर थाना ईसानगर जनपद खीरी उम्र 36 वर्षको घटना कारित करने में प्रयुक्त सामग्री 37 अदद सिम कार्ड, 26 अदद चेकबुक, 16 अदद पेन कार्ड, 20 अदद आधार कार्ड, 21 अदद किरायानामा स्टाम्प,03 रबर स्टाम्प, 05 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद लेपटॉप, 01 अदद पेन ड्राइव, 01 अदद डीजीटल सिगनेचर डिवाइस व 19 अदद तालों की चाबी, 04 अदद जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 04 अदद उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 03 अदद पार्टनरशीप डीड स्टाम्प, 01 अदद रिटायरमेन्ट डीड, 01 अदद संगम लाल रंग की अबरी लगी डायरी, 01 अदद अनन्या प्रीमियम कॉनवेन्ट बुक, 01 अदद HUMA NOTEBOOK, 01 अदद संगम BRAND LEDGER NOTEBOOK, 21 अदद पासपोर्ट साइज फोटो पाउच मय फोटो व 17 अदद आधार कार्ड व पेन कार्ड की प्रतिलिपि एवं जामातालाशी से बरामद कुल 26,100 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। **गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0स0 08/2026 धारा 340(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 व 66C आईटी एक्ट पंजीकृत** किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूर्व में पंजीकृत अभियोगो का विवरण

अभियुक्तगण द्वारा कारित किये गये अपराधो के सम्बन्ध में जनपद खीरी के भिन्न भिन्न थानो पर पूर्व से भी अभियोग पंजीकृत हैं जिनकी विवेचना थाना साइबर क्राइम जिला खीरी से चल रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1.दीपक सिंह उर्फ भीमा पुत्र उमेश सिंह नि0 ग्राम टिहुरकी थाना रामनगर जनपद बाराबंकी
2.अंकित द्विवेदी पुत्र शिवभगवान निवासी ग्राम बेहटा पकोड़ी थाना तम्बौर जनपद सीतापुर
3.धीरेन्द्र सिंह उर्फ कमल पुत्र जैनेन्द्र सिंह उर्फ गुड्डू सिंह नि0 ग्राम गोरिया कलां थाना कोतवाली देहात जिला सीतापुर
4.राजू पुत्र रफीक नि0 ग्राम मिर्जापुर थाना ईसानगर जनपद खीरी

संक्षिप्त विवरणः-

1.अभियुक्त दीपक के कब्जे से उसने 19,100 रुपये व बायी जेब से दो अदद मोबाइल फोन कम्पनी 02 पार्टनरशिप डीड ,03 अदद रबड़ स्टाम्प, 03 अदद मोबाइल फोन कम्पनी, 01 अदद लैपटॉप HP PRODUCT ID BK2Q03A#ACJ, 01 अदद पैनड्राइव SANDISK, 20 अदद सिम कार्ड, 16 अदद चैकबुक, 11 अदद चाबी, 01 अदद डीजीटल सीगनेचर डिवाइस, 06 अदद HDFC BANK ATM व 07 अदद पेन कार्ड व 08 अदद आधार कार्ड व 07 अदद कागज के लिफाफे में पासपोर्ट साइज फोटो व 02 अदद जीएसटी व 02 अदद उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

2.अभियुक्त अंकित द्विवेदी के कब्जे से जामातालाशी से पहने पैन्ट के दाहिने जेब से 2,500 रुपये बरामद हुए, 02 अदद मोबाइल फोन, 08अदद तालो व 08 अदद एटीएम कार्ड व 09 अदद पेन कार्ड व 07 अदद आधार कार्ड व 10 अदद चैकबुक व 13 अदद पाउच मय पासपोर्ट साइज फोटो व 17 अदद सिम व 01 अदद ANANYA PREMIUM NOTEBOOK व 03 अदद ब्लैंक स्टाम्प पेपर व 02 अदद GST REGISTRAION CERTIFICATE व 02 अदद उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व 12 अदद किरायानामा अनुबन्ध पत्र
3.अभियुक्त धीरेन्द्र सिंह के कब्जे से 3,500 रुपये व 13 अदद आधार कार्ड
4.अभियुक्त राजू के कब्जे से 03 अदद आधार कार्ड व 05 अदद आधार कार्ड

कुल बरामदगी

37 अदद सिम कार्ड, 26 अदद चेकबुक, 16 अदद पेन कार्ड, 20 अदद आधार कार्ड, 21 अदद किरायानामा स्टाम्प,03 रबर स्टाम्प, 05 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद लेपटॉप, 01 अदद पेन ड्राइव, 01 अदद डीजीटल सिगनेचर डिवाइस व 19 अदद तालों की चाबी, 04 अदद जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 04 अदद उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 03 अदद पार्टनरशीप डीड स्टाम्प, 01 अदद रिटायरमेन्ट डीड, 01 अदद संगम लाल रंग की अबरी लगी डायरी, 01 अदद अनन्या प्रीमियम कॉनवेन्ट बुक, 01 अदद HUMA NOTEBOOK, 01 अदद संगम BRAND LEDGER NOTEBOOK, 21 अदद पासपोर्ट साइज फोटो पाउच मय फोटो व 17 अदद आधार कार्ड व पेन कार्ड की प्रतिलिपि एवं 26,100 रुपये नगद।

प्रेस नोट–185/2026
दिनांक 01.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ तथा अलीगढ़ इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 01.04.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ तथा अलीगढ़ इकाइयों द्वारा दो अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन मेरठ इकाई द्वारा श्री विशेष कुमार निवासी संकलपट्टी थाना चाँदीनगर जनपद बागपत से क्रय केन्द्र आवंटित करने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक कैलाश चन्द्र के नेतृत्व में कार्यालय (मुख्य गन्ना अधिकारी) से **मुख्य गन्नाधिकारी राजदीप वालियान (दा बागपत कोआपरेटिव चीनी मिल बागपत)** पुत्र बलवान सिंह निवासी ग्राम अल्लावलपुर थाना भौराकला जनपद मुजफ्फरनगर को **15 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन अलीगढ़ इकाई द्वारा श्रीमती सुमन निवासी महेश्वरी कॉलोनी इगलास थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में आनलाइन आवेदन को आगे बढ़ाने व उस पर कार्यवाही करने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री अनिल कुमार यादव के नेतृत्व में कक्ष संख्या-05 कार्यालय नगर पालिका परिषद हाथरस से **क्लर्क श्रीमती सोनिया सिंह (नगर पालिका परिषद हाथरस)** पत्नी स्व0 राहुल सिंह निवासी म0नं0-164 गिलोरी गार्डन मथुरा रोड थाना हाथरस गेट जनपद हाथरस को **05 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट–186 / 2026
दिनांक 01.04.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फतेहपुर/थाना साइबर क्राइम

- **मेट्रोमोनियल साइट के नाम पर शादी कराने का झाँसा देकर कॉल सेन्टर चलाकर आम जनमानस से वित्तीय धोखाधड़ी में संलिप्त अंतर्राज्यीय गिरोह के-06 अभियुक्तों गिरफ्तार**
- **भारी संख्या में मोबाइल फोन सिम व कम्प्यूटर ,आदि बरामद**

दिनांक 31.03.2026 को थाना साइबर क्राइम फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मेट्रोमोनियल साइट के नाम पर शादी कराने का झाँसा देकर कॉल सेन्टर चलाकर आमजनमानस से वित्तीय धोखाधड़ी में - संलिप्त अंतर्राज्यीय गिरोह के06 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से भारी संख्या में मोबाइल फोनसिम व कम्प्यूटर इत्यादि बरामद , हुए।

उल्लेखनीय है कि प्रतिबिम्ब पोर्टल पर स्थानक्षेत्र विशेष से प्रदर्शित संदिग्ध मोबाइल नम्बरों की / 31 साइबर क्राइम पुलिस थाना द्वारा दिनाँक.03.सत्यापन के अनुक्रम में संकलि/को जाँच 2026त अभिलेखीयइलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर जनपद के थाना राधानगर अन्तर्गत देवीगंज में किराये के / -मकान में मेट्रोमोनियल साइट के नाम पर शादी कराने का झाँसा देकर कॉल सेन्टर चलाकर आम जनमानस से वित्तीय धोखाधड़ी कारित करने के कॉल सेन्टर को भण्डाफोड़ कर साइबर क्राइम पुलिस थाना पर पंजीकृत अभियोग मु08 0सं0अ0/318 धारा 2026(2)/ 319(2)/ 338/ 336(3)/ 340/ 111(4)/61(2) बीएनएस व /सी66 66 डी IT ACT पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण -पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि हम लोगों द्वारा यहाँ 'uniquerishtey.com' वेबसाइट के माध्यम से शादी के इच्छुक महिला व पुरुषों के मोबाइल नंबर प्राप्त किए जाते थे। उन नंबरों पर कॉल करके उन्हें अलग अलग-'पैकेज' के ऑफर दिए जाते थे और क्यूआर)QR) कोड के माध्यम से अपने बैंक खातों में पैसे लिए जाते थे। हमारे पास ₹2,9 से लेकर 99 ₹19,999 तक की पाँच श्रेणियों के ऑफर थे। इसके पश्चात इच्छुक व्यक्तियों को व्हाट्सएप)WhatsApp) के माध्यम से लड़केलड़कियों के फोटो भेजे जाते थे। फोटो पसंद आने पर उन्हें एक / मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया जाता था, जिस पर वे बात करते थे। यह कॉल सेंटर पिछले लगभग 18 माह से संचालित किया जा रहा है।आगरा निवासी अमित कुमार के सहयोग से फर्म का पंजीकरण कराया गया और कंपनी संचालन हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई। अक्टूबर से हमने 2024 नियमानुसार कर्मचारियों की नियुक्ति कर इसे बड़े स्तर पर संचालित करना शुरू किया। हमारा मुख्य उद्देश्य शादी के इच्छुक व्यक्तियों को छलना था। अमित कुमार हमें लड़कियों के फर्जी फोटो और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराता था। इस कार्य के लिए सिम कार्ड कानपुर की नन्दिनी नाम की महिला जो एयरटेल) कंपनी, कानपुर में कर्मचारी हैके माध्यम से उपलब्ध कराए जाते थे। (हम शादी के इच्छुक व्यक्तियों को जो फर्जी फोटो और नंबर देते थे, उसके बदले प्राप्त धनराशि से कर्मचारियों का वेतन देने के बाद शेष

राशि अमित, अनिल और मैं आपस में बाँट लेते थे। इस प्रकार हम आम जनता के साथ साइबर वित्तीय ठगी करते थे। कंपनी के नाम से विभिन्न बैंकों में लगभग दो बार -खाते संचालित हैं। हम एक 06 फर्जी लड़कियों से बात कराकर विश्वास जीतते थे और पैसा प्राप्त होने के बाद संबंधित व्यक्ति से संपर्क माह पूर्व तनु शर्मा के नाम से 6 बंद कर देते थे। इस अवैध कारोबार में हमें अच्छी कमाई होती थी। लगभग बैंक खाता खुलवाकर उसे लेनदेन के संचालन का काम सौंपा गया था। हमारा सहयोगी दिनेश बंजारा भी कानपुर के थाना सीसामऊ अंतर्गत हीरागंज मोहल्ले में 'शुभमंगल जोड़ी-' के नाम से ऐसी ही फर्म संचालित करता है। अन्य सहयोगी महिलाएँ, नीलम और श्रेया, टीम लीडर की भूमिका में कार्य करती थीं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. आदित्य यदु पुत्र धर्मेन्द्र यदु निवासी ग्राम पसीद पोबिटकुली थाना करही बाजार जनपद बलोदा 0 बाजार राज्य छत्तीसगढ़ हाल पता टीचर्स कालोनी हरिहरगंज थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर ।
2.अनिल कुमार पुत्र बाला प्रसाद निवासी नहेड़ी पोस्ट लशकरपुर थाना कोरावल जनपद राजगढ़ राज्य महाल पता टीचर्स कालोनी हरिहरगंज थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर । 0प्र 0
3.दिनेश कुमार बंजारे पुत्र स्वअमलेडी थाना माल 0कौशल प्रसाद बंजारे निवासी ग्राम डोंगरी डीह पो . 108 0नं0खरौंदा जनरद शक्ति राज्य छत्तीसगढ़ हाल पता म/आऱके नगर थाना सीसामऊ कानपुर ,ए52 नगर ।
4.नीलम पुत्री स्वबनरसी थाना ललौली जनपद फतेहपुर । 0हीरालाल निवासी ग्राम हरिया पुर पो .
5.तनु शर्मा पुत्री अरविन्द कुमार निवासी बहुआ पुलिया राधानगर थाना राधानगर जनपद फतेहपुर ।
6.श्रेया मिश्रा पुत्री राजेश कुमार शर्मा निवासी ग्राम काँधी पोकाँधी थाना मलवाँ जनपद फतेहपुर 0।

बरामदगी का विवरण-

1. कम्प्यूटर सीपीयू-08 अदद
2. कम्प्यूटर मॉनिटर -07 अदद
3. कैनन लेजर प्रिंटर-01 अदद
4. की-बोर्ड-07 अदद
5. माउस-08 अदद
6. बॉयोमैट्रिक डिवाइस-01 अदद
7. एच्रडीएमआई केबल-07 अदद
8. सीसीटीवी कैमरा डीवीआर-02 अदद
9. की -पैड मोबाइल-25 अदद
10. एन्ड्रॉएड मोबाइल -03 अदद
11. जियो फाइबर राउटर-01 अदद
12. हार्ड डिस्क-01 अदद
13. सिम कार्ड -(एयरटेल)137 अदद
14. सिम कार्ड -(वीआई)07 अदद
15. कैश -72930नकद 0रू -/

एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज शिकायत संख्या-

1. NCRP शिकायत संख्या –33311250030473 जनपद कबीरधाम छत्तीसगढ़।
2. NCRP शिकायत संख्या –31209250010937 जनपद चम्बा हि।0प्र 0

3. NCRP शिकायत संख्या –33110250145808 जनपद जालौन उ0प्र0
4. NCRP शिकायत संख्या –31910250204041 जनपद पुणे महाराष्ट्र।
5. NCRP शिकायत संख्या –33112।0प्र0जनपद बहराइच उ 250175903
6. NCRP शिकायत संख्या –31309250064565 जनपद अम्बाला हरिय़ाणा।
7. NCRP शिकायत संख्या –31908250152539 जनपद नागपुर महाराष्ट्र।
8. NCRP शिकायत संख्या –31202260001334 जनपद मण्डी हि0प्र 0
9. NCRP शिकायत संख्या –30802260011369 जनपद द्वारका दिल्ली।
10. NCRP शिकायत संख्या –30501260007011 जनपद बग्धा बिहार।
11. NCRP शिकायत संख्या –30803260015461 जनपद दिल्ली आउटर दिल्ली।
12. NCRP शिकायत संख्या –33303260008688 जनपद शक्ति छत्तीसगढ़।
13. NCRP शिकायत संख्या –31102260034546 जनपद सुरतगुजराता। ,
14. NCRP शिकायत संख्या –31911240163485 जनपद रैगाड़ महाराष्ट्र।
15. NCRP शिकायत संख्या –31912250249230 जनपद मीरा भयन्दर वासी महाराष्ट्र।
16. NCRP शिकायत संख्या –33103260062885 जनपद कांशीरामनगर उ0प्र0
17. NCRP शिकायत संख्या –31902250034291 जनपद गोंडिया महाराष्ट्र।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना मदेयगंज

- **घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त सहित 08 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 04 लाख 99 हजार 493 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 01.04.2026 को थाना मदेयगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बंधा रोड रघुवंशी ढाल के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–आलोक उर्फ मुस्कान घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–सुजीत उर्फ मगन सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशादेही पर दुबग्गा क्षेत्र से 3–निर्भय उर्फ नितिन 4–भूपेन्द्र 5–पुष्पेन्द्र कुमार 6–मिलन 7–कन्हैया उर्फ कृष्णा 8–आदर्श को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 04 लाख 99 हजार 493 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना मदेयगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मदेयगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मदेयगंज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–आलोक उर्फ मुस्कान निवासी ग्राम उलरा थाना अतरौली जनपद हरदोई हालपता–दाउदनगर फैजुल्लागंज थाना मडियांव, लखनऊ।

2–सुजीत उर्फ मगन निवासी जाजूपुर थाना अतरौली जनपद हरदोई।

3–निर्भय उर्फ नितिन निवासी जाजूपुर थाना अतरौली जनपद हरदोई, हालपता–कांशीराम कालोनी दुबग्गा, लखनऊ।

4–भूपेन्द्र निवासी जाजूपुर थाना अतरौली जनपद हरदोई।

5–पुष्पेन्द्र कुमार निवासी बम्हनौआ पेंग थाना अतरौली जनपद हरदोई हालपता–पतौरागंज थाना मदेयगंज, लखनऊ।

6–मिलन निवासी जाजूपुर थाना अतरौली जनपद हरदोई।

7–कन्हैया उर्फ कृष्णा निवासी भिलावां गनरिया थाना संदना जनपद सीतापुर।

8–आदर्श निवासी सुखउखेड़ा थाना अतरौली जनपद हरदोई।

<u>बरामदगी</u>

1–लूटे गये 04 लाख 99 हजार 493 रूपये ।

2–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

<u>जनपद शामली/थाना कोतवाली शामली</u>

- **घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के माल बिक्री के 08 लाख 20 हजार रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 01.04.2026 को थाना कोतवाली शामली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 अभियुक्तों 1–राजेश उर्फ गंगाशरण 2–श्रीनिवास 3–भवानी शंकर

4—जतन को गिरफ्तार कर धोखाधड़ी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के माल बिक्री के 08 लाख 20 हजार रूपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात अभियुक्तों द्वारा ज्योतिष व झाड़—फूंक करने के बहाने धोखाधड़ी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजेश उर्फ गंगाशरण निवासी चन्द्रलोक कॉलोनी थाना कोतवाली जनपद हापुड़।

2—श्रीनिवास निवासी कस्बा व थाना चण्डौस जनपद अलीगढ़।

3—भवानी शंकर निवासी चन्द्रलोक कॉलोनी थाना कोतवाली जनपद हापुड़।

4—जतन निवासी चन्द्रलोक कॉलोनी थाना कोतवाली जनपद हापुड़।

बरामदगी

1—धोखाधड़ी के माल बिक्री के 08 लाख 20 हजार रूपये नगद आदि।

कमिश्नरेट आगरा /थाना बमरौली कटारा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 किलो 62 ग्राम अवैध चरस**
- **नगद रूपये**
- **01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 31.03.2026 को थाना बमरौली कटारा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गढ़ी महावन तिराहा समोगर घाट रोड के पास से अभियुक्त अरबाज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 किलो 62 ग्राम अवैध चरस, नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बमरौली कटारा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—अरबाज निवासी कालिन्दी विहार शाहनगर बम्बा थाना ट्रान्सयमुना कमिश्नरेट आगरा।

<u>बरामदगी</u>

1—02 किलो 62 ग्राम अवैध चरस।

2—नगद रूपये।

3—01 मोबाइल फोन।

- **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना जहाँगीराबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 55—55 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना जहाँगीराबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि सपठित धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट व 174ए भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—संजय 2—अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 55—55 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कुशीनगर/थाना रामकोला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कुशीनगर द्वारा थाना रामकोला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त बीरबल को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद देवरिया/थाना बनकटा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 01 को 05 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड)</u>**

जनपद देवरिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद देवरिया द्वारा थाना बनकटा पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त सत्येन्द्र को धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड व

अभियुक्त राजमंगल उर्फ नेउर को धारा 201 भादवि के अन्तर्गत 05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद एटा/थाना जैथरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना जैथरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 3/4पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुमित को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 80 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————————